प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय न्यायाधीश श्री राधे श्याम शर्मा

दांडिक अपील क्रमांक 270/2004

विक्रम कुमार मांझी

विरुद्ध

छत्तीसगढ़ राज्य

निर्णय

दिनांक 19-03-2012 हेतु सूचीबद्ध करें।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-
आर.एस. शर्मा
न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ: माननीय न्यायाधीश श्री राधे श्याम शर्मा

दांडिक अपील क्रमांक 270/2004

अपीलार्थी : विक्रम कुमार मांझी, आत्मज जोहान कुमार, आयु 22 वर्ष

निवासी: मोहना, थाना: पोद्दागाँव, जिला: गजपति, उड़ीसा।

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : छत्तीसगढ़ राज्य।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थिति:

अपीलार्थी की ओर से : श्री श्रवण चंदेल, अधिवक्ता।

राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से : श्रीमती मधुनिशा सिंह, पैनल अधिवक्ता।

<u>दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374(2) दंड प्रक्रिया संहिता</u>

निर्णय

(दिनांक 19 मार्च, 2012 को प्रदत्त किया गया)

1. यह अपील स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (संशोधित) अधिनियम, 2001 (जिसे आगे 'अधिनियम' कहा गया है) के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश, रायपुर द्वारा विशेष दांडिक प्रकरण क्रमांक 40/2003 में पारित निर्णय दिनांक 09-03-2004 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। आक्षेपित निर्णय द्वारा, अभियुक्त/अपीलार्थी विक्रम कुमार मांझी को उक्त अधिनियम की धारा 20(ख)(**ii**)(ख) के तहत दोषसिद्ध किया गया है और उसे तीन वर्ष के कठोर कारावास तथा 10,000/- रुपये के जुर्माने, और जुर्माने

के व्यतिक्रम की दशा में, तीन माह के अतिरिक्त कठोर कारावास से दंडित किया गया है।

2. अभियोजन पक्ष के मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है:

दिनांक 19-06-2003 को, उप-निरीक्षक एस.एन. अख्तर (अभियोजन साक्षी-5) जी.आर.पी. थाना रायपुर में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ थे। उस तिथि को, उन्हें मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि लिंक एक्सप्रेस में तीन व्यक्ति बिक्री हेतु 'गांजा' ला रहे हैं। उन्होंने मुखबिर सूचना को प्रदर्श-पी/12 के रूप में अभिलिखित किया और उक्त सूचना को रोजनामचा सान्हा (प्रदर्श-पी/13सी) में भी प्रविष्टि किया। उन्होंने उक्त सूचना को पुलिस उप-अधीक्षक, जी.आर.पी., रायपुर को प्रदर्श-पी/9 और पी-10 के माध्यम से प्रेषित किया। उन्होंने साक्षियों को बुलवाया और तत्पश्चात रेलवे स्टेशन रायपुर के प्लेटफार्म क्रमांक 3 की ओर प्रस्थान किया जहाँ लिंक एक्सप्रेस पहुँच चुकी थी। तीन व्यक्ति ट्रेन से उतरकर एक झोले के साथ ओवर-ब्रिज की ओर जा रहे थे। उन तीनों व्यक्तियों की घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया गया, जिनमें से एक अपीलार्थी भी था। पूछताछ किए जाने पर, अपीलार्थी ने अपना नाम बताया। अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत उसके अधिकारों के बारे में प्रदर्श-पी/1 के माध्यम से सूचित किया गया और तलाशी के संबंध में अपीलार्थी की सहमति प्रदर्श-पी/2 में अभिलिखित की गई। तत्पश्चात, एस.एन. अख्तर (अभियोजन साक्षी-5) ने अपीलार्थी के एयरबैग की तलाशी ली। अपीलार्थी के कब्जे से एयरबैग में रखा हुआ गांजा जब्त किया गया। प्रदर्श-पी/5 के माध्यम से मौके पर ही गांजे का वजन किया गया। गांजा 6 किलोग्राम पाया गया। गांजे की जब्ती प्रदर्श-पी/6 के माध्यम से की गई। जब्त किए गए गांजे का नमूना भी अलग से तैयार किया गया। अपीलार्थी को उसी दिन गिरफ्तारी पत्रक (प्रदर्श-पी/7) के माध्यम से गिरफ्तार कर लिया गया। जब्ती और गिरफ्तारी के पश्चात, विवेचना अधिकारी उप-निरीक्षक एस.एन. अख्तर (अभियोजन साक्षी-5) वापस थाने आए और प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/16) के माध्यम से अपराध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पंजीकृत किया। अधिनियम की धारा 57 के अंतर्गत की गई कार्यवाही का पूर्ण विवरण तैयार किया गया और उसकी एक प्रति प्रदर्श-पी/11 के माध्यम से पुलिस अधीक्षक (रेलवे) को भेजी गई। गांजे के नमूने और जब्त किए गए गांजे को मालखाना में सुरक्षित अभिरक्षा हेतु मालखाना मोहर्रिर को सौंप दिया गया। नमूनों को परीक्षण के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया। वहाँ से प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/18) प्राप्त हुई। प्रदर्श-पी/18 में, गांजे का परीक्षण धनात्मक पाया गया। विवेचना पूर्ण होने के पश्चात, उक्त अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायाधीश, रायपुर के न्यायालय में अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोग-पत्र दाखिल किया गया, जिन्होंने विचारण संपन्न किया और अपीलार्थी को उपरोक्त अनुसार दोषसिद्ध एवं दंडित किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. श्री श्रवण चंदेल, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि उक्त अधिनियम की धारा 42, 50, 55 और 57 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया गया था। उन्होंने आगे यह तर्क दिया कि अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं है जिससे यह प्रदर्शित हो कि झोले में 'गांजा' था और झोले से लिए गए नमूनों को सीलबंद किया गया था तथा सील का नमूना छाप तैयार किया गया था। अपीलार्थी से की गई जब्ती विधि के अनुसार नहीं थी। विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजे गए झोले की सील के साथ छेड़छाड़ की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अतः, अपीलार्थी उसके विरुद्ध विरचित आरोपों से दोषमुक्त होने का पात्र है।

4. राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान पैनल अधिवक्ता श्रीमती मधुनिशा सिंह ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए यह निवेदन किया कि विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश में इस न्यायालय द्वारा किसी भी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. पक्षकारों के परस्पर विरोधी तर्कों को सुनने के पश्चात, मैंने विशेष दाण्डिक प्रकरण क्रमांक 40/2003 के अभिलेख का परिशीलन किया है।

6. अभियोजन पक्ष ने बजरंग (अभियोजन साक्षी-1), पंचू (अभियोजन साक्षी-2), प्रधान आरक्षक महेंद्र राय (अभियोजन साक्षी-3), प्रधान आरक्षक रामकुमार मंजारे (अभियोजन साक्षी-4) और उप-निरीक्षक एस.एन. अख्तर (अभियोजन साक्षी-5) का परीक्षण कराया है। अपीलार्थी ने अपने बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया है।

7. बजरंग (अभियोजन साक्षी-1) और पंचू (अभियोजन साक्षी-2) विनिषिद्ध सामग्री की बरामदगी, तौल और जब्ती के साक्षी थे, किंतु उन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया और वे पक्षद्रोही हो गए।

8. अब, मैं इस बात का परीक्षण करूँगा कि अधिनियम की धारा 42 के प्रावधानों का उप-निरीक्षक एस.एन. अख्तर (अभियोजन साक्षी-5) द्वारा पर्याप्त रूप से अनुपालन किया गया है अथवा नहीं?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. एस.एन. अख्तर (अभियोजन साक्षी-5) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि दिनांक 19-06-2003 को वह थाना जी.आर.पी. रायपुर में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ थे। उस तिथि को, उन्हे मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि लिंक एक्सप्रेस में तीन व्यक्ति बिक्री हेतु गाँजा ला रहे हैं। उन्होंने मुखबिर सूचना को प्रदर्श-पी/12 के रूप में अभिलिखित किया और उक्त सूचना की प्रविष्टि रोजनामचा सान्हा (प्रदर्श-पी/13सी) में भी की। उन्होंने उक्त सूचना अपने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को प्रदर्श-पी/9 और पी-10 के माध्यम से प्रेषित किया।

10. प्रधान आरक्षक महेंद्र राय (अभियोजन साक्षी-3) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि दिनांक 19-06-2003 को वह उप पुलिस अधीक्षक (रेलवे), रायपुर के वाचक के रूप में पदस्थ थे। उस तिथि को, उन्होंने प्रदर्श-पी/9 और पी-10 के माध्यम से 'मुखबिर सूचना पंचनामा' तथा 'बिना वारंट तलाशी पंचनामा' प्राप्त किया था। एस.एन. अख्तर (अभियोजन साक्षी-5) और महेंद्र राय (अभियोजन साक्षी-3) के साक्ष्यों की पुष्टि दस्तावेज़ प्रदर्श-पी/13सी और प्रदर्श-पी/14डी द्वारा की गई।

11. 'माननीय उच्चतम न्यायालय ने '***करनैल सिंह बनाम हरियाणा राज्य', (2009) 8 एस.सी.सी. 539*** के मामले में ने इस प्रकार अभिनिर्धारित किया है:

"35. अंत में, ध्यान देने योग्य बात यह है कि ***'अब्दुल रशीद इब्राहिम मंसूरी बनाम गुजरात राज्य', (2000) 2 एस.सी.सी. 513*** के मामले में धारा 42(1) और 42(2) की आवश्यकताओं के अक्षरशः अनुपालन की अपेक्षा नहीं की गई थी और न ही ***'साजन अब्राहम बनाम केरल राज्य', (2001) 6 एस.सी.सी. 692*** में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 42(1) और 42(2) की आवश्यकताओं को पूरा करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। इन दोनों निर्णयों का प्रभाव इस प्रकार था:"

(क) धारा 42 की उप-धारा (1) में संदर्भित प्रकृति की सूचना किसी व्यक्ति से प्राप्त होने पर, अधिकारी को धारा 42(1) के खंड (क) से (घ) के निबंधनों के अनुसार कार्यवाही करने से पूर्व, उसे संबंधित रजिस्टर में लिखित रूप में अभिलिखित करना होगा और तत्काल उसकी एक प्रति अपने अव्यवहित वरिष्ठ अधिकारी को भेजनी होगी।

(ख) किंतु, यदि सूचना तब प्राप्त हुई थी जब अधिकारी पुलिस थाने में नहीं था, बल्कि वह गश्त पर या अन्यथा भ्रमण पर था, चाहे मोबाइल फोन के माध्यम से या अन्य माध्यमों से, और वह सूचना तत्काल कार्यवाही की मांग करती हो तथा किसी भी देरी के परिणामस्वरूप सामग्री या साक्ष्य के हटाए जाने या नष्ट होने की संभावना हो, तो ऐसी स्थिति में उसे दी गई सूचना को लिखित रूप में दर्ज करना साध्य या व्यावहारिक नहीं होगा; ऐसी स्थिति में, वह धारा 42(1) के खंड (क) से (घ) के अनुसार कार्यवाही कर सकता है और उसके पश्चात, जैसे ही व्यावहारिक

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

हो, सूचना को लिखित रूप में अभिलिखित कर सकता है और तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारी को इसकी सूचना दे सकता है।

(ग) दूसरे शब्दों में, प्राप्त सूचना को लिपिबद्ध करने और उसकी एक प्रति वरिष्ठ अधिकारी को भेजने के संबंध में धारा 42(1) और 42(2) की आवश्यकताओं का अनुपालन, सामान्यतः अधिकारी द्वारा प्रवेश, तलाशी और जब्ती से पूर्व होना चाहिए। किंतु, आपातकालीन स्थितियों वाली विशेष परिस्थितियों में, सूचना को लिखित रूप में अभिलिखित करने और उसकी प्रति आधिकारिक वरिष्ठ को भेजने की प्रक्रिया को एक उचित अवधि के लिए, अर्थात तलाशी, प्रवेश और जब्ती के बाद तक के लिए स्थगित किया जा सकता है। यहाँ मुख्य प्रश्न तात्कालिकता और समीचीनता का है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(घ) जहाँ धारा 42 की उप-धारा (1) और (2) की आवश्यकताओं का पूर्ण अननुपालन अक्षम्य है, वहीं विलंब के संबंध में संतोषजनक स्पष्टीकरण के साथ किया गया विलंबित अनुपालन, धारा 42 का स्वीकार्य अनुपालन माना जाएगा। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी विलंब के कारण अभियुक्त के भागने या सामग्री या साक्ष्य के नष्ट होने या हटाए जाने की संभावना हो, तो ऐसी स्थिति में कार्यवाही शुरू करने से पहले प्राप्त सूचना को लिखित रूप में दर्ज न करना, या ऐसी सूचना की प्रति वरिष्ठ अधिकारी को तत्काल न भेजना, धारा 42 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है। किंतु, यदि सूचना तब प्राप्त हुई थी जब पुलिस अधिकारी पुलिस थाना में था और उसके पास कार्यवाही करने हेतु पर्याप्त समय उपलब्ध था, और यदि वह प्राप्त सूचना को लिखित रूप में अभिलिखित करने में विफल रहता है, या उसकी एक प्रति अपने वरिष्ठ

अधिकारी को भेजने में विफल रहता है, तो यह एक संदिग्ध परिस्थिति होगी जो अधिनियम की धारा 42 का स्पष्ट उल्लंघन है। इसी प्रकार, जहाँ पुलिस अधिकारी सूचना को बिल्कुल भी अभिलिखित नहीं करता है, और अपने वरिष्ठ अधिकारी को बिल्कुल भी सूचित नहीं करता है, तो वह भी धारा 42 का स्पष्ट उल्लंघन होगा। धारा 42 का पर्याप्त या सारभूत अनुपालन हुआ है या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है जिसे प्रत्येक मामले की परिस्थितियों के अनुसार तय किया जाना चाहिए। उपरोक्त स्थिति को वर्ष 2001 के अधिनियम 9 द्वारा धारा 42 में किए गए संशोधन से और अधिक बल मिला है।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. उप-निरीक्षक एस.एन. अख्तर (अभियोजन साक्षी-5) और प्रधान आरक्षक (वाचक) महेंद्र राय (अभियोजन साक्षी-3) के साक्ष्यों को देखते हुए, यह प्रतीत होता है कि एस.एन. अख्तर (अभियोजन साक्षी-5) ने मुखबिर सूचना प्राप्त होने पर उसे रोजनामचा सान्हा में दर्ज किया और अलग से 'मुखबिर सूचना पंचनामा' तैयार किया तथा उसकी सूचना अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी, जिसकी पुष्टि दस्तावेज़ प्रदर्श-पी/9, पी-10, पी-13सी और पी-14सी से होती है। अतः, यह स्पष्ट है कि एस.एन. अख्तर (अभियोजन साक्षी-5) ने अधिनियम की धारा 42(2) के प्रावधानों का अनुपालन किया है।

13. अब, मैं इस बात का परीक्षण करूँगा कि अन्वेषण अधिकारी द्वारा अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का पर्याप्त रूप से अनुपालन किया गया है या नहीं? अधिनियम की धारा 50(1) के अंतर्गत, जो अधिकारी अभियुक्त की तलाशी लेने वाला है, उसके लिए यह आवश्यक है कि वह उस व्यक्ति को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लिए जाने के उसके अधिकार के बारे में सूचित करे। यदि वह व्यक्ति राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी का विकल्प चुनता है, तो उसे तत्काल उक्त अधिकारी या मजिस्ट्रेट के पास ले जाया

जाएगा। अन्यथा, संबंधित अधिकारी द्वारा तलाशी ली जा सकती है। विधि की इस आवश्यकता को आज्ञापक प्रकृति का माना गया है और इसका अनुपालन न करना विचारण को दूषित कर देता है।

14. एस.एन. अख्तर (अभियोजन साक्षी-5) ने यह अभिसाक्ष्य दिया कि तलाशी लेने से पूर्व, उन्होंने साक्षियों की उपस्थिति में अपीलार्थी को स्वयं के द्वारा, या किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा, या किसी निकटतम मजिस्ट्रेट के समक्ष तलाशी लिए जाने हेतु एक नोटिस दिया था। अपीलार्थी ने उनके द्वारा ही तलाशी लिए जाने हेतु अपनी सहमति प्रदान की। तलाशी का नोटिस प्रदर्श-पी/1 है, जिस पर उनके और अपीलार्थी के हस्ताक्षर मौजूद हैं। अपीलार्थी की सहमति प्रदर्श-पी/2 में अभिलिखित की गई थी, जिस पर अपीलार्थी के हस्ताक्षर हैं। साक्षियों के समक्ष अपीलार्थी को नोटिस देने के उपरांत उसकी तलाशी लेने पर, उसके आधिपत्य में गाँजा पाया गया, जिसे साक्षियों के समक्ष ज़ब्त कर लिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. प्रदर्श-पी/1 के माध्यम से, अपीलार्थी को अधिनियम की धारा 50 के अंतर्गत उसके अधिकार के बारे में सूचित किया गया था। प्रदर्श-पी/2 में, उसकी तलाशी के संबंध में अपीलार्थी की सहमति अभिलिखित की गई थी।

16. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***'निर्मल सिंह पहलवान उर्फ निम्मा बनाम इंस्पेक्टर, सीमा शुल्क, सीमा शुल्क सदन, पंजाब', जे.टी. 2011 (8) एस.सी.*** 581 में, इस प्रकार अवलोकन किया:

> "7. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्कों और उद्धृत न्याय-दृष्टांतों के आलोक में मामले के तथ्यों का परीक्षण किया है। प्रदर्श-पी.ए. वह सहमति पत्रक है, जिसके अंतर्गत अपीलार्थी ने राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लिए जाने का विकल्प चुना था। यह पत्रक गुरमुखी लिपि में है और इसे हमें पढ़कर सुनाया गया है। हम देखते हैं कि किसी भी दृष्टि से यह नहीं कहा जा सकता कि यह अपीलार्थी को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लिए जाने के

उसके अधिकार के बारे में सूचित कर रहा था, क्योंकि उसे केवल यह विकल्प दिया गया था उसकी तलाशी किसी अन्य के समक्ष कराई जाए। ***'विजयसिंह' (उपरोक्त)*** के मामले में, संविधान पीठ ने कण्डिका-1 में अपने समक्ष विचाराधीन प्रश्न को इस प्रकार स्पष्ट किया था:

> "अपीलों के इस समूह में विचारण हेतु उत्पन्न संक्षिप्त प्रश्न यह है कि क्या स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (संक्षेप में "एन.डी.पी.एस. अधिनियम") की धारा 50 सशक्त अधिकारी पर यह कर्तव्य आरोपित करती है कि वह संदिग्ध को राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में तलाशी लिए जाने के उसके **अधिकार** के बारे में 'सूचित' करे, यदि वह ऐसी इच्छा रखता है; या क्या उक्त अधिकारी द्वारा केवल यह पूछताछ करना कि 'क्या संदिग्ध मजिस्ट्रेट या राजपत्रित अधिकारी की उपस्थिति में तलाशी लेना चाहेगा', उक्त धारा के आज्ञापक प्रावधान का उचित अनुपालन कहा जा सकता है?"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"9. अतः यह स्पष्ट है कि संविधान पीठ के समक्ष विधिक प्रश्न यह था कि क्या किसी 'सहमति पत्रक' को अभियुक्त को धारा 50 के अंतर्गत उसके अधिकार के संबंध में दी गई सूचना माना जा सकता है। संविधान पीठ ने स्पष्ट रूप से कहा कि सहमति पत्रक को ऐसी सूचना नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अधिनियम की धारा 50 के प्रावधान आज्ञापक हैं और उनका कठोरता से अनुपालन किया जाना अनिवार्य है, तथा उससे किसी भी प्रकार का विचलन अभियोजन को दूषित कर देगा। आगे यह भी निर्धारित किया गया कि यह आवश्यक नहीं है कि यह सूचना लिखित रूप में ही हो, किंतु सूचना किसी न किसी रूप या रीति में दी जानी चाहिए, जो मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। हमने तदनुसार, अभियोजन साक्षी-4 प्रेम सिंह के साक्ष्य का परिशीलन किया है। उन्होंने

एक शब्द भी ऐसा नहीं कहा कि क्या उन्होंने अपीलार्थी को उसके अधिकार के बारे में सूचित किया था; उन्होंने केवल उससे विकल्प माँगा कि क्या वह किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट से तलाशी कराना चाहेगा, जैसा कि प्रदर्श पी.ए. में अंकित है। ***'विजयसिंह'(उपरोक्त)*** के मामले में दिए गए निर्णय के आलोक में, हम पाते हैं कि अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का पूर्णतः अननुपालन हुआ है।"

17. मैंने एस.एन. अख्तर (अभियोजन साक्षी-5) के साक्ष्य का परिशीलन किया है। एस.एन. अख्तर (अभियोजन साक्षी-5) ने यह साक्ष्य दिया कि उन्होंने प्रदर्श-पी/1 के माध्यम से अपीलार्थी को उसके इस अधिकार के बारे में सूचित किया था कि वह किसी राजपत्रित अधिकारी या मजिस्ट्रेट या उससे स्वयं से अपनी तलाशी कराए जाने का हकदार था। अपीलार्थी ने प्रदर्श-पी/2 के माध्यम से स्वयं अन्वेषण अधिकारी द्वारा तलाशी लिए जाने हेतु अपनी लिखित सहमति दी थी। एस.एन. अख्तर (अभियोजन साक्षी-5) के साक्ष्य से यह स्पष्ट रूप से स्थापित होता है कि उनके द्वारा अधिनियम की धारा 50 के प्रावधानों का सारभूत अनुपालन भी किया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

18. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***'मदनलाल एवं अन्य बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य', (2003) 7 एस.सी.सी. 465 और 'मेघ सिंह बनाम पंजाब राज्य', (2003) 8 एस.सी.सी. 666*** में यह अवधारित किया कि अधिनियम, 1985 की धारा 50 के पठन मात्र से यह पता चलता है कि यह केवल किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत तलाशी के मामले में लागू होती है। इसका विस्तार किसी वाहन, पात्र, बैग या परिसर की तलाशी तक नहीं है। धारा 50 की भाषा स्वतः स्पष्ट है कि तलाशी का संबंध 'व्यक्ति' से होना चाहिए, न कि परिसर, वाहन या वस्तुओं की तलाशी से। इस सिद्धांत को ***'पंजाब राज्य बनाम बलदेव सिंह', (1999) 6 एस.सी.सी. 172*** में संविधान पीठ द्वारा संदेह से परे सुस्थापित कर दिया गया था।

19. उपरोक्त सुस्थापित विधिक सिद्धांत के आलोक में, जब तलाशी किसी घर, वाहन, पात्र, बैग या परिसर की ली जाती है, तो अधिनियम की धारा 50 लागू नहीं होगी। वर्तमान मामले में, अपीलार्थी के **एयरबैग** की तलाशी ली गई थी, अतः अधिनियम की धारा 50 लागू नहीं होती है।

20. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि एस.एन. अख्तर (अभियोजन साक्षी-5) के साक्ष्य की पुष्टि किसी स्वतंत्र साक्षी द्वारा नहीं की गई है। अतः, केवल एस.एन. अख्तर (अभियोजन साक्षी-5) के साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थी की दोषसिद्धि नहीं की जा सकती।

21. माननीय उच्चतम न्यायालय ने ***'गिरजा प्रसाद (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि बनाम मध्य प्रदेश राज्य', (2007) 7 एस.सी.सी. 625 के मामले में***, इस प्रकार अवधारित किया:

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"25. हमारे निर्णय में, उपरोक्त सिद्धांत इस बिंदु पर सही विधि प्रतिपादित नहीं करती है। यह सुस्थापित है कि किसी साक्षी की विश्वसनीयता का परीक्षण सत्यवादिता और विश्वसनीयता की कसौटी पर किया जाना चाहिए। यह पूरी तरह संभव है कि किसी विशिष्ट मामले में, न्यायालय केवल शिकायतकर्ता या किसी पुलिस अधिकारी के साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि न करे, किंतु यह कोई विधि नहीं है कि पुलिस साक्षियों पर भरोसा नहीं किया जाना चाहिए और उनके साक्ष्य को तब तक स्वीकार नहीं किया जा सकता जब तक कि अन्य स्वतंत्र साक्ष्य द्वारा सारभूत विवरणों में उसकी संपुष्टि न हो जाए। यह उपधारणा कि प्रत्येक व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है, किसी अन्य व्यक्ति के समान ही एक पुलिस अधिकारी के पक्ष में भी लागू होती है। पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य में केवल इस कारण से कोई दोष नहीं आ जाती कि वे पुलिस बल से संबंधित हैं। विधि का ऐसा कोई नियम नहीं है जो यह निर्धारित करता हो कि पुलिस अधिकारियों के साक्ष्य पर कोई दोषसिद्धि अभिलिखित नहीं की

जा सकती, भले ही ऐसा साक्ष्य अन्यथा विश्वसनीय और भरोसेमंद हो। विवेक का नियम उनके साक्ष्य की अधिक सावधानीपूर्वक संवीक्षा की अपेक्षा कर सकता है। किंतु, यदि न्यायालय को यह विश्वास हो जाता है कि साक्षी द्वारा जो कहा गया है उसमें सत्यता का अहसास है, तो ऐसे साक्ष्य के आधार पर दोषसिद्धि की जा सकती है।"

26. इस बिंदु पर विभिन्न निर्णयों का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है। हालाँकि, हम यह बता सकते हैं कि आधी शताब्दी से भी पहले, ***'अहेर राजा खिमा बनाम सौराष्ट्र राज्य', ए.आई.आर. 1956 एस.सी. 217*** में, न्यायाधीश वेंकटराम अय्यर ने निर्णीत किया था: (ए.आई.आर. पृ. 230, कण्डिका- 40)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

"40. यह उपधारणा कि कोई व्यक्ति ईमानदारी से कार्य करता है, जितनी अन्य व्यक्तियों के पक्ष में लागू होती है, उतनी ही एक पुलिस अधिकारी के पक्ष में भी लागू होती है, और बिना किसी ठोस आधार के उन पर अविश्वास या संदेह करना एक न्यायिक दृष्टिकोण नहीं है। ऐसा रवैया न तो न्यायपालिका के लिए गौरवपूर्ण हो सकता है और न ही जनता के लिए अच्छा। यह केवल पुलिस प्रशासन की प्रतिष्ठा को ही कम कर सकता है।"

27. ***'ताहिर बनाम राज्य (दिल्ली)', (1996) 3 एस.सी.सी. 338 में***, इसी तरह के प्रश्न पर विचार करते हुए, डॉ. ए.एस. आनंद, न्यायाधीश (तत्कालीन न्यायाधीश) ने कहा था: (एस.सी.सी. पृ. 341, कण्डिका-6)

"6. जहाँ पुलिस अधिकारियों का साक्ष्य, सावधानीपूर्वक संवीक्षा के बाद विश्वास जागृत करता है और विश्वसनीय तथा भरोसेमंद पाया जाता है, तो वह दोषसिद्धि का आधार बन सकता है; और उनके साक्ष्य की संपुष्टि के लिए मोहल्ला के किसी स्वतंत्र साक्षी की

अनुपस्थिति, किसी भी तरह से अभियोजन के मामले की विश्वसनीयता को प्रभावित नहीं करती है।"

22. वर्तमान मामले में, पंच साक्षीगण बजरंग (अभियोजन साक्षी-1) और पंचू (अभियोजन साक्षी-2) पक्षद्रोही हो गए और उन्होंने अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया, किंतु उप-निरीक्षक एस.एन. अख्तर (अभियोजन साक्षी-5) ने अधिनियम की धारा 42 और 50 के प्रावधानों का सारभूत अनुपालन किया है। अतः, उनके साक्ष्य को पंच साक्षियों के साक्ष्य द्वारा संपुष्टि के बिना भी विचारण हेतु स्वीकार किया जाता है।

23. अब, मैं इस बात का परीक्षण करूँगा कि क्या अधिनियम की धारा 55 और 57 के प्रावधानों का अनुपालन किया गया है ?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

24. माननीय उच्चतम न्यायालय ने 'गुरबख्श सिंह बनाम हरियाणा राज्य', (2001) 3 एस.सी.सी. 28 के मामले में, इस प्रकार अवधारित किया:

"9. यह सत्य है कि धारा 52 और 57 के प्रावधान निदेशात्मक प्रकृति के हैं। इन प्रावधानों का उल्लंघन स्वतः विचारण या दोषसिद्धि को दूषित नहीं करेगा। तथापि, अन्वेषण अधिकारी इन प्रावधानों की पूर्णतः उपेक्षा नहीं कर सकता और ऐसी विफलता का अभियुक्त की गिरफ्तारी या सामग्री की जब्ती से संबंधित साक्ष्यों के मूल्यांकन पर प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान मामले में, अन्वेषण अधिकारी ने स्वीकार किया है कि 'मुद्दामाल' वस्तु पर जो सील लगाई गई थी, वह साक्षी अभियोजन साक्षी-1 को सौंप दी गई थी और 10 दिनों तक उसी के पास रही थी। उन्होंने यह भी स्वीकार किया है कि मुद्दामाल पार्सलों को थाना प्रभारी द्वारा सीलबंद नहीं किया गया था, जैसा कि एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 55 के अंतर्गत आवश्यक है। अभियोजन ने ऐसा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है कि क्या रासायनिक परीक्षक को नमूने उचित और अक्षुण्ण सील के साथ प्राप्त हुए थे। यह इस बात पर संदेह उत्पन्न करता है कि क्या

रासायनिक परीक्षक को वही नमूने भेजे गए थे। आगे, यह स्पष्ट है कि अन्वेषण अधिकारी ने एन.डी.पी.एस. अधिनियम की धारा 57 के अंतर्गत निर्धारित उस प्रक्रिया का पालन नहीं किया है, जिसमें गिरफ्तारी और जब्ती के सभी विवरणों की पूर्ण प्रतिवेदन अपने अव्यवहित वरिष्ठ अधिकारी को दी जानी चाहिए।"

25. वर्तमान मामले में, एस.एन. अख्तर (अभियोजन साक्षी-5) ने अभिसाक्ष्य दिया कि जब्तशुदा गाँजे को साक्षियों की उपस्थिति में तौला गया था। तौल पंचनामा (प्रदर्श-पी/5) तैयार किया गया था, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। गाँजे का वजन 6 किलोग्राम पाया गया, जिसमें से 50-50 ग्राम के दो नमूने तैयार कर सीलबंद किए गए और शेष गाँजे को प्रदर्श-पी/6 के माध्यम से अपीलार्थी से जब्त कर अलग से सीलबंद किया गया। जब्ती पत्रक (प्रदर्श-पी/6) में सील का नमूना अंकित किया गया था। उन्होंने साक्षियों के समक्ष अपीलार्थी को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श-पी/7 है, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। वे अपीलार्थी को गाँजे के साथ थाने ले आए और प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/16) दर्ज की, जिस पर उनके हस्ताक्षर हैं। उन्होंने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया कि जब्तशुदा सामग्री को सुरक्षित अभिरक्षा हेतु 'मालखाना मुहर्रिर' को सौंप दिया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

26. एस.एन. अख्तर (अभियोजन साक्षी-5) ने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया कि उन्होंने जब्ती, गिरफ्तारी और अपने द्वारा की गई विस्तृत कार्यवाही के संबंध में प्रदर्श-पी/11 और पी-20 के माध्यम से अपने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना भेजी थी और इसे रोजनामचा सान्हा क्रमांक 1687 (प्रदर्श-पी/19सी) में भी दर्ज किया गया था। प्रधान आरक्षक रामकुमार मंजारे (अभियोजन साक्षी-4) ने अभिसाक्ष्य दिया कि वह पुलिस अधीक्षक (रेलवे), रायपुर के वाचक के रूप में पदस्थ थे। उन्हें एक संदेश प्राप्त हुआ था, जिसे प्रदर्श-पी/11 के माध्यम से पुलिस अधीक्षक (रेलवे), रायपुर को भेजा गया था।

27. उप-निरीक्षक एस.एन. अख्तर (अभियोजन साक्षी-5) और प्रधान आरक्षक (वाचक) रामकुमार मंजारे (अभियोजन साक्षी-4) के साक्ष्यों को देखते हुए, यह प्रतीत होता है कि एस.एन. अख्तर (अभियोजन साक्षी-5) ने विनिषिद्ध सामग्री की जब्ती और अपीलार्थी की गिरफ्तारी के पश्चात, की गई विस्तृत कार्यवाही का प्रतिवेदन अपने वरिष्ठ अधिकारियों को भेजा था और उसे रोजनामचा सान्हा क्रमांक 1687 (प्रदर्श-पी/19सी) में भी दर्ज किया गया था। अतः, यह स्पष्ट है कि एस.एन. अख्तर (अभियोजन साक्षी-5) ने अधिनियम की धारा 57 के प्रावधानों का अनुपालन किया था।

28. उप-निरीक्षक एस.एन. अख्तर (अभियोजन साक्षी-5) ने साक्ष्य दिया कि जब्तशुदा सामग्री को सुरक्षित अभिरक्षा हेतु मालखाना मुहर्रिर को सौंप दिया गया था। उन्होंने आगे यह अभिसाक्ष्य दिया कि नमूनों को पुलिस अधीक्षक के ज्ञापन के माध्यम से रासायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजा गया था। विधि विज्ञान प्रयोगशाला से प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/18) प्राप्त हुई थी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

29. प्रदर्श-पी/17सी मालखाना रजिस्टर की एक प्रति है। इसमें क्रमांक 37/03, दिनांक 19-6-2003 पर, जब्तशुदा गाँजे और उसके नमूनों को मालखाने में रखे जाने की प्रविष्टि है। इसमें आगे यह भी प्रविष्टि है कि गाँजे के नमूने विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर भेजे गए थे। प्रदर्श-पी/18 में यह उल्लेख है कि 'ए' और 'बी' के रूप में चिह्नित दो पैकेट, दिनांक 23-06-2003 को आरक्षक क्रमांक 379 राम कुमार, पुलिस थाना (रेल) के माध्यम से विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर में प्राप्त हुए थे और उन पैकेटों पर लगी सील '**जी.आर.पी./आर.पी.आर'** के नमूना सील के समान थी।

30. उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि जब्तशुदा सामग्री और नमूनों को एस.एन. अख्तर (अभियोजन साक्षी-5) द्वारा सीलबंद किया गया था और उन्होंने उन सामग्रियों पर सील अंकित की थी। ऐसा कोई विधिक प्रावधान नहीं है कि वह नमूना, जिसे जब्ती करने वाले अधिकारी द्वारा पहले ही सीलबंद कर दिया गया है

और जिसे मालखाने में जमा कर दिया गया है, उसे थाना प्रभारी द्वारा पुनः सीलबंद किया जाना चाहिए।

31. यह भी साक्ष्य से स्पष्ट है कि सीलबंद नमूनों को पुलिस अधीक्षक के माध्यम से विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था। प्रतिवेदन (प्रदर्श-पी/18) के अनुसार, सील अक्षुण्ण पाई गई थी और उसका मिलान नमूना सील से हो गया था। अतः, यह उपधारणा नहीं की जा सकती कि नमूनों की सील के साथ कोई छेड़छाड़ हुई थी। यह उपधारित किया जाना चाहिए कि जो नमूने बरामदगी के समय सीलबंद किए गए थे, उन्हीं को विधि विज्ञान प्रयोगशाला भेजा गया था।

32. अतः, वर्तमान मामले में, उपरोक्त विवेचना से यह स्पष्ट है कि अधिनियम की धारा 42, 50, 55 और 57 के प्रावधानों का सारभूत अनुपालन किया गया है। मुझे विद्वान विशेष न्यायाधीश द्वारा पारित दोषसिद्धि और दंडादेश के आक्षेपित निर्णय में कोई दोष प्रतीत नहीं होता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

33. पूर्वोक्त कारणों के आधार पर, यह अपील खारिज की जाती है।

सही/-
आर.एस. शर्मा
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवाहरिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated by : Vinay Awasthi, Advocate